संख्या- 14 /2023/ 213 /001-74-2002-001-3-2023

प्रेषक,

सुनील कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

रेशम विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 11 जुलाई, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखा शीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग 001-निदेशन तथा प्रशासन-06-टसर रेशम विकास की योजना" के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-58/सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2023-24, दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-टसर रेशम विकास की योजना" हेतु कुल प्रावधानित धनराशि रू0 70.00 लाख (रूपये सत्तर लाख मात्र) के सापेक्ष रू0 70.00 लाख (रूपये सत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरण के अनुसार निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	**मद संख्या एवं मद का नाम**	**वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु प्राविधानित धनराशि**	**वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अवमुक्त धनराशि**
1	02-मजदूरी	57.40	57.40
2	08-कार्यालय व्यय	0.10	0.10
3	09-विद्युत देय	0.50	0.50
4	29-अनुरक्षण	2.00	2.00
5	42-अन्य व्यय	2.00	2.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	8.00	8.00
	योग	**70.00**	**70.00**

(रूपये सत्तर लाख मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत प्राप्त की जानी आवश्यक हों उन मामलों में व्यय करने के पूर्व सक्षम स्तर से ऐसी स्वीकृति/सहमति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर है तो व्यय की जाने वाली धनराशि को सम्बन्धित जनपद के आहरण वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय ऐसे मामलो में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

(3) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्र्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राईटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय नियमों का पूर्णता अनुपालन किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता का विशेष ध्यान रखा जाये तथा मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

(6) स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाये। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का योजनान्तर्गत कारित कार्यों हेतु ही उचित उपयोग किया जा रहा हैं।

(7) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष 2023-24 में लक्षित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत की गयी धनराशि के फेजिंग कार्य की प्रगति एवं अवसर के अनुसार किया जाय, जहाँ तक संभव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रति माह समान रूप से की जाय। वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास में कुल स्वीकृत धनराशि के 30 प्रतिशत से अधिक धनराशि तथा वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में 15 प्रतिशत से अधिक धनराशि का व्यय न किया जाय।

(9) स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में दी शर्तों/नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(11) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

(12 स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा एवं पूर्ण दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(13) ऐसी केन्द्र प्रायोजित जिनमें कार्मिकों का वेतन भुगतान निहित है, के संबंध में पी0एफ0एम0एस0 के एस0एन0ए0 माड्यूल के माध्यम से कार्मिकों के वेतन के भुगतान के संबंध में भारत सरकार के पत्र संख्या-1(13)/PFMS/FCD/2020, दिनांक 08 मार्च, 2022 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में निर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 12/2022/बी-1-357/दस-2022 दिनांक 10 मई, 2022 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) परियोजनाओं में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियंत्रित करने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाय।

(15) समस्त प्रशासकीय विभाग सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहाँ तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय। वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास में कुल बजट प्रावधान के 30 प्रतिशत से अधिक धनराशि तथा वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में 15 प्रतिशत से अधिक धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियाँ न जारी की जाय।

(16) विभागाध्यक्षों एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर है तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्य क्ष स्तीर पर एकामुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(17) वित्तीय स्वीकृतियों के शासनादेश की प्रतिलिपि यथास्थिति, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज तथा महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज को भेजने के साथ-साथ वित्त विभाग के संबंधित (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग को भी भेजना सुनिश्चित किया जाय। स्थानीय निकायों एवं शासन से अनुदानित संस्थाओं के लिए वित्तीय स्वीकृतियों के शासनादेश निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज को भी पृष्ठाकित किये जायें।

(18) वित्तीय स्वीकृतियों से संबंधित आदेशों को वेब साईट http:shasanadesh.up.gov.in पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2851000010600 (टसर रेशम विकास की योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	010	2851000010600 टसर रेशम विकास की योजना	02 मजदूरी	57,40,000 (रुपये सत्तावन लाख चालीस हजार मात्र)
2	010	2851000010600 टसर रेशम विकास की योजना	08 कार्यालय व्यय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
3	010	2851000010600 टसर रेशम विकास की योजना	09 विद्युत देय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
4	010	2851000010600 टसर रेशम विकास की योजना	29 अनुरक्षण	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
5	010	2851000010600 टसर रेशम विकास की योजना	42 अन्य व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
6	010	2851000010600 टसर रेशम विकास की योजना	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
	कुल			**70,00,000** **(रुपये सत्तर लाख मात्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

महायोग	70,00,000 (रुपये सत्तर लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सुनील कुमार वर्मा
विशेष सचिव।

संख्या-14 (1) /2023/ 213 /001-74-2002-001-3-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम व द्वितीय, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, रेशम निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्त एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यंय-नियंत्रण) अनुभाग-1
(6) वित्त (आय-व्य यक) अनुभाग-1/2,
(7) गार्ड फाईल/कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

परमात्मा यादव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।